# छत्तीसगढ़ शासन
# वन विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक ०१/10/2020

क्रमांक एफ–5–24/2020/10–2

प्रति,

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 2.248 हे., आरक्षित वन भूमि 2.432 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.66 हे. कुल 4.746 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर का FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–816/1674, दिनांक 14.09.2020 ।

----00----

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 4 से 8 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 105 टुकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आवेदित किया गया है। (जैसे कक्ष क्र. 461 दो बार, 570 दो बार, 572 A 3 बार एवं P 576 का विवरण 4 बार दिया गया है। ) इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि, उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है ।

उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग–II) में आवेदित उक्त वन भूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :–

| क्र. | जिला | प्रभावित वनमण्डल का नाम | प्रभावित परिक्षेत्र का नाम | प्रभावित वनखंड का नाम | प्रभावित वनभूमि का प्रकार | वन कक्ष क्र. | लम्बाई (मी.) | चौड़ाई (मी.) | क्षेत्रफल (हे.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

उक्त तालिका में कक्ष क्र. की पुनरावृत्ति नही होगी तथा आवेदित वन भूमि का विवरण कक्षवार एकजाई हो सकेगा जिससे राज्य शासन से जारी किये जाने वाले अनुमति पत्र में एक कक्ष के कुल एक्जाई रकबा का एक बार वर्णन दर्ज हो सकेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि, भारत नेट परियोजना फेस . ण के तहत् राज्य शासन को प्रेषित किये जा रहे भारत नेट परियोजना के समस्त प्रकरणों में इसी तरह का (आवेदित वन क्षेत्र) विवरण भेजा जा रहा है ।

पूर्व में धमतरी वनमंडल के प्रकरण में भी ऐसा ही विवरण होने पर आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि को मंत्रालय में उपस्थित किया जाकर उपरोक्तानुसार सुधार करवाया गया तथा समाईश दी गई कि, आगामी प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में इसकी पुनरावृत्ति न हो किंतु उक्त त्रुटि का सुधार नही हो पा रहा हे।

**उपरोक्त त्रुटि को संधोधित कर राज्य शासन को भेजे जाने वाले प्रकरणों में भी उक्त त्रुटि को सुधार कर संशोधित करना सुनिश्चित करें।**

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 9 में गैर वन क्षेत्र हेतु 18.04 हे. प्रभावित दर्शाया गया है। उक्त क्षेत्र का विस्तृत विवरण संलग्न प्रेषित नही किया गया है।
3. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 11 अनुसार वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से कम है किंतु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 55 में प्रदायित वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा (भाग–II ) के बिंदु क्र VI अनुसार वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से अधिक है।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 76 में लेख है कि, 7 मार्ग (लंबाई 39.719 कि.मी. तथा क्षेत्रफल 1.986 वर्ग कि.मी.) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत स्थित है। कृपया इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 78 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र रकबा 4.680 हे. के लिए प्रदाय किया गया है, जबकि आवेदन कुल 4.746 हे. हेतु आवेदित है।
6. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 21 में लेख किया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर से ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा आवश्यक नही है। कृपया भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. 6–175/2017 WL, दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन करें। इसमें उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

क्रमशः 2

2/– कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया जा रहा है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।
(प्रस्ताव मूलतः 2 प्रतियों में)।

9/10

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ–5–24/2020/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 09/10/2020

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

2.मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, छत्तीसगढ़।

4.आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

9/10

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

O/c